न्यायालय न्यायनिर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट कोटपूतली (कोटपूतली–बहरोड)

पीठासीन अधिकारी :– ओम प्रकाश सहारण (आर.ए.एस)
प्रार्थना पत्र संख्याः– 81/2023

सरकार जरिये नरेश कुमार चेजारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम

–आवेदक

बनाम

1. श्री नितेश गुप्ता पुत्र श्री किशन लाल गुप्ता (विक्रेता एवं मालिक) मैसर्सः–प्रेमचन्द अशोक कुमार, हरदयाल मार्ग, नगर पालिक तिराहा, कोटपुतली जिला जयपुर।
2. श्री सुनील अग्रवाल (डायरेक्टर) मैसर्सः– पिंक सिंटी ऑयल प्रोडक्टस प्रा०लि०, ई–760, रोड न. 9एफ–1, वीकेआई ऐरिया जयपुर। 302013
3. श्री सौरभ अग्रवाल (डायरेक्टर) मैसर्सः– पिंक सिंटी ऑयल प्रोडक्टस प्रा०लि०, ई–760, रोड न. 9एफ–1, वीकेआई ऐरिया जयपुर। 302013
4. श्री शुभम अग्रवाल (डायरेक्टर) मैसर्सः– पिंक सिंटी ऑयल प्रोडक्टस प्रा०लि०, ई–760, रोड न. 9एफ–1, वीकेआई ऐरिया जयपुर। 302013
5. मैसर्सः– पिंक सिंटी ऑयल प्रोडक्टस प्रा०लि०. ई–760, रोड न. 9एफ–1, वीकेआई ऐरिया जयपुर। 302013

–अभियुक्तगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii)/52 एफएसएस एक्ट 2006 एवं रूल्स 2011

निर्णय

दिनांक 9/12/25

1. उपर्युक्त उनवानी संस्थित प्रकरण परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया है कि मैं नरेश कुमार चेजारा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादन कर रहा हूँ और और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.11 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियों प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन. स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज, जयपुर के आदेश क्रमांक 1041 दिनांक 31.12.2020 के अनुसार मुझे कार्य क्षेत्र कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)

स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम आवंटित किया गया है और जयपुर प्रथम के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र में आते है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियाँ न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

2. यह कि मैं श्याम सुन्दर दिनांक 29.01.2022 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादन कर रहे थे इन्हे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक एच/एफएसएसए/नोटिफिकेशन/2011/727 दिनांक 29.11.11 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियों प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया था। श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश क्रमांक एफएसएसए/2019/832 दिनांक 29.09.19 तथा राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित कार्य क्षेत्र अधिसूचना दिनांक 10.02.2012 के अनुसार इनको कार्य क्षेत्र कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम आवंटित किया गया था और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र इनके कार्य क्षेत्र में आते थे। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियाँ न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

3. यह है कि श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज० जयपुर के निर्देशानुसार एवं श्रीमान अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम के आदेश कमांक एफएसएसए/2022/1873 दिनांक 13.12.22 के द्वारा आवेदक नरेश कुमार चेजारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को तत्कालिन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री श्याम सुन्दर के एफएसएस एक्ट 2006 के वकाया प्रकरण सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने के आदेश प्राप्त हुए जिनकी प्रति न्याय निणर्यन आवेदक के साथ संलग्न है।

4. यह कि श्याम सुन्दर तात्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 29.01.2022 को समय 03:00 पी. एम पर मैसर्स प्रेमचन्द अशोक कुमार, हरदयाल मार्ग, नगर पालिक तिराहा, कोटपुतली जिला जयपुर राज० पर पहुँचा। वहाँ पर विक्रेता एवं मालिक की हैसियत से उपस्थित श्री नितेश गुप्ता पुत्र श्री किशन लाल गुप्ता ने फर्म के खाद्य अनुज्ञा पत्र एवं जीएसटी रजिस्ट्रेशन की स्वयं प्रमाणित छाया प्रति पेश की जो न्यायनिणर्यन आवेदन के साथ संलग्न है।

5. यह कि श्याम सुन्दर तात्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निरीक्षण के समय खाद्य पदार्थ कच्ची घाणी सरसों तेल (सूर्य किरण) 1 लीटर पैट बोतल वजन वालो के गत्ते के 03 कार्टून (प्रत्येक कार्टून में 1 लीटर वजन वाली 16 सील्ड पैट बोतल) आम जनता को वेचान हेतु रखे हुये थे जिनमें में गुणवत्ता की कमी/मिसब्राण्ड का शक होने पर उसमे से 1 लीटर वजन वाली 04 सील्ड पैट बोतल कच्ची घाणी सरसों तेल (सूर्य किरण) वास्ते नमूना जाँच हेतु खरीदी जिसकी कीमत विक्रेता एवं मालिक श्री नितेश गुप्ता को रु 680/–देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता एवं मालिक नितेश गुप्ता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहन सुरज्ञानी कुमार गुर्जर तथा नरेश कुमार एफएसओ के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर तात्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये जो न्यायनिर्णायन आवेदन के साथ संलग्न है।

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)

6. यह कि श्याम सुन्दर तात्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5ए की प्रतियों एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवा कर, फार्म सं. 5ए की एक प्रति विक्रेता एवं मालिक श्री नितेश गुप्ता को देकर रसीद प्राप्त की। फार्म सं. 5ए की प्रति एवं फर्द रिपोर्ट न्यायनिर्णायन आवेदन के साथ संलग्न है।
7. यह कि श्याम सुन्दर तात्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 1 लीटर वजन वाली 04 सील्ड पैट बोतल कच्ची घाणी सरसों तेल (सूर्य किरण) के लिए लेवल तैयार कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाये और लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम के कोड एवं क्रमांक E–5497 दर्ज किया एवं स्वंय ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता एवं मालिक तथा गवाहन के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–2 खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. E–5497 नियमानुसार चारों नमूना बोतलों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आयें एवं गवाहों के हस्ताक्षर करवा कर तात्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया।
8. यह है कि श्याम सुन्दर तात्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय पहुँच कर फार्म नं.6 की छः प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया था। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक राज, जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फॉर्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर एवं खाद्य विश्लेषक राज, जयपुर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म सं. 6 के अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
9. यह है कि राज्य केन्द्रिय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला राज० जयपुर के खाद्य विश्लेषक द्वारा खाद्य नमूने की विश्लेषक रिपोर्ट निर्धारित अवधि 14 दिवस के पश्चात जारी करने हेतु पत्र कमांक पत्रांक एस.सी.पी.एच.एल/एफएसएसए/22/319 दिनांक 04.02.22 अनिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम को भिजवाया जिसकी छाया प्रति जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
10. यह है कि श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम ने विक्रेता एवं मालिक को पत्र क्रमांक एफएसएसए/2022/370 दिनांक 03.03.22 द्वारा मय खाद्य विश्लेषक, जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एलएस. /564/एक्ट/2022/602 दिनांक 28.02.22 को भिजवाते हुए एक प्रतिलिपि मय जांच रिपोर्ट आवेदक श्याम सुन्दर तात्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी को दी जिससे ज्ञात हुआ की विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जाँच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ कच्ची घाणी सरसों

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)

तेल (सूर्य किरण) (1 लीटर पैट बोतल) Misbranded Food under Section 3(1)(zf) (C) (i) of Food Safety and Standards Act 2006. होना पाया गया। जिसकी जॉच रिर्पोट व अग्रेषण पत्र न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

11. यह कि श्याम सुन्दर तात्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त फर्म के विक्रेता एवं मालिक को उक्त खाद्य पदार्थ कच्ची घाणी सरसों तेल (सूर्य किरण) (1 लीटर पैट बोतल) का अग्रिम माल खरीद बिल की सूचना बाबत पत्र लिखा जिसके जबाब में पत्र मय अग्रिम माल खरीद बिल प्रस्तुत किया जो न्यायनिर्णायन आवेदन के साथ संलग्न है।
12. यह कि श्याम सुन्दर तात्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स प्रेमचन्द अशोक कुमार, हरदयाल मार्ग, नगर पालिक तिराहा, कोटपुतली जिला जयपुर राज० के विक्रेता द्वारा प्रस्तुत अग्रिम माल खरीद बिल के आधार पर मैसर्स पिंक सिंटी ऑयल प्रोडक्टस प्रा०लि० जयपुर को फार्म न. 5ए की सूचना, फर्म के मालिक/भागीदार/नोमिनी, जीएसटी रजिस्टेशन एवं खाद्य अनुज्ञा पत्र बाबत लिखा गया पत्र क्रमांक 814 दिनांक 06.05.22 जिसके प्रति उत्तर में उक्त फर्म द्वारा पत्र मय फर्म से सम्बधित कागजात भिजवाये जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
13. यह कि एफएसएसए एक्ट 2006 नियम 2011 के नियम 2.4.6 सेक्शन 46 के सब सेक्शन 4 के अन्तर्गत 30 दिवस की अवधी में नमूने की रेफरल लेबोरेट्री में पुन जांच हेतु फार्म–viii मे अपील करने हेतु विक्रेता को अवगत कराया गया। विक्रेता द्वारा पुनः जांच हेतु फॉर्म vili में अभिहित अधिकारी को अपील नहीं की गयी।
14. यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा समस्त मूल पत्रावली अभिहित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जिस पर श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर–प्रथम ने पत्र क्रमांक एफएसएसए/22/1906 दिनांक 19.12.22 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस मे न्यायनिर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है जो न्यायनिणर्यन आवेदन के साथ संलग्न है।
15. यह कि उक्त केस में अभियुक्तो द्वारा मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ कच्ची घाणी सरसों तेल (सूर्य किरण) (1 लीटर पैट बोतल) का विक्रय/निर्माण करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की कमशः धारा 52 मे निर्धारित है। अतः उपरोक्त न्यायानिणर्यन आवेदन श्रीमानजी के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन है कि अभियुक्तो को अधिकतम जुर्माने से दण्डित करे।
16. प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तल्बी हेतु नोटिस जारी किया गया बाद तामिल अप्रार्थी संख्या एक की ओर से अधिवक्ता श्री मधुसूदन अग्रवाल ने वकालतनामा पेश किया। शेष अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता दीपक कुमार योगी उपस्थित आकर जबाब पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। अप्रार्थी अधिवक्ता ने अपने जबाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट को आधार बनाकर अप्रार्थीगण के खिलाफ मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ का परिवाद पेश किया है जबकि प्रकरण में किस आधार पर खाद्य पदार्थ को मिसब्राण्ड माना यह कहॉ भी उल्लेखित नही किया है साथ ही खाद्य पदार्थ मिथ्याछाप पाये जाने पर अभियुक्तगण को नोटिस देना अनिर्वाय है

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)

लेकिन खाद्य सुरक्षा अधिकारी किसी प्रकार का नोटिस नही दिया गया है। खाद्व सुरक्षा अधिकारी द्वारा जिस प्रयोगशाला में जॉच कराई गई वह एनएबीएल प्राधिकृत प्रयोगशाला नही है इसलिए बिना प्राधिकृत प्रयोगशाला से प्रेषित जॉच रिपोर्ट को वैध नही माना जा सकता है अतः प्रस्तुत परिवाद को निरस्त कर अभियुक्त को दोष मुक्त करने की कृपा करें।

17. हमने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों रिकॉर्ड का अवलोकन किया। प्रश्नगत प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को कच्ची घाणी सरसों तेल (सूर्य किरण) मे मिलावट का शक होने पर वास्ते जाँच नमुना लेकर राज्य केन्द्रिय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला राज० जयपुर को भिजवाने पर उनके द्वारा अपनी जाँच रिपार्ट में उक्त खाद्य पदार्थ मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ पाया गया। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपने जवाब में अकित तथ्यों के समर्थन में कोई साक्ष्य/सबूत प्रस्तुत नही किये है जिससे यह साबित हो सके उसके द्वारा ऐसा कोई कृत्य नहीं किया गया हो। इस प्रकार अप्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ कच्ची घाणी सरसों तेल (सूर्य किरण) का निर्माण/विक्रय कर खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है। अतः उक्त कृत्य के लिए अभियुक्त को अधिनियम की धारा 52 के तहत दण्डित किया जाना न्याय संगत प्रतित होता है। अतः अभियक्त श्री नितेश गुप्ता पुत्र श्री किशन लाल गुप्ता (विक्रेता एवं मालिक) मैसर्सः-प्रेमचन्द अशोक कुमार, हरदयाल मार्ग, नगर पालिक तिराहा, कोटपुतली जिला जयपुर, श्री सुनील अग्रवाल (डायरेक्टर) मैसर्सः- पिंक सिंटी ऑयल प्रोडक्टस प्रा०लि०, ई-760, रोड न. 9एफ-1, वीकेआई ऐरिया जयपुर। 302013, श्री सौरभ अग्रवाल (डायरेक्टर) मैसर्सः- पिंक सिंटी ऑयल प्रोडक्टस प्रा०लि०, ई-760, रोड न. 9एफ-1, वीकेआई ऐरिया जयपुर। 302013, श्री शुभम अग्रवाल (डायरेक्टर) मैसर्सः- पिंक सिंटी ऑयल प्रोडक्टस प्रा०लि०, ई-760, रोड न. 9एफ-1, वीकेआई ऐरिया जयपुर। 302013, मैसर्सः- पिंक सिंटी ऑयल प्रोडक्टस प्रा०लि०. ई-760, रोड न. 9एफ-1, वीकेआई ऐरिया जयपुर। 302013 पर 25000/- (पच्चीस हजार) .... शास्ति आरोपित की जाती है। उक्त शास्ति राशि जरिये चालान एक माह में जमा कराकर रसीद चालान पेश करें।

निर्णय आज दिनांक 19.12.25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

न्याय निर्णायक अधिकारी
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली